राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3/वादकरण)विभाग

क्रमांक प.9(2)(59)कार्मिक/क–3/97/पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 14.02.2006

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त
3. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

परिपत्र

विषयः–कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के मामलों में शिकायत समितियों की जांच प्रकिया।

राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा अन्य बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में पारित निर्णय निर्धारित दिशा–निर्देशों की अनुपालना में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14.6.2000 द्वारा राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम,1971 में नवीन नियम 25कक जोड़ा गया है, जिसमें कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करके दुराचरण घोषित किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्य दिशा–निर्देशों के अनुपालन हेतु परिपत्र दिनांक 23.7.2001 प्रसारित किया है जिसमें शिकायत समितियां कार्यवाही इत्यादि का विस्तृत का विवरण उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के मूल उद्धरण सहित प्रसारित किया है, जिसमें शिकायत समितियों का गठन उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार ही किये जाने के भी अनुदेश भी स्पष्ट है।

हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने डा0 मेघा कोटवाल लेले बनाम भारत संघ के प्रकरण में निर्णय दिनांक 26.4.04 प्रसारित किया है जिसमें निम्न प्रकार दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये है:–

UPON hearing counsel the Court made the following

ORDER

Several petitions had been filed before this Court by Women organisations and on the basis of the note prepared by the Registrar General that in respect of sexual harassment cases the Complaints Committees were not formed in accordance with the guidelines issued by this Court in Vishaka Vs. State of Rajasthan (1997 (6) SSC 241) and that these petitions fell under clause (6) of the PIL Guidelines given by this Court i.e. "Atrocities on Women" and in any event the Guidelines get out in Vishaka were not being followed. Thereupon, this Court treated the petitions as writ petitions filed in public interest.

Notice had been issued to several parties including the Governments concerned and on getting appropriate responses from them and now after hearing learned Attorney General for UOI and learned counsel, We direct as follows:

"Complaints Committee as envisaged by the Supreme Court in its judgment in Vishaka's case, 1997 (6) SCC 241 at 253, will be deemed to be an inquiry authority for the purpose of Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 (hereinafter called CCS Rules) and the report of the complaints Committee shall be deemed to be an inquiry report under the CCS rules. Thereafter the disciplinary authority will act on the report in accordance with the rules."

राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियत्रण और अपील) नियम, 1958 में नवीन नियम 18 ए निम्न प्रकार से अधिसूचना दिनांक 14.2.06 द्वारा जोड़ा गया है जो निम्न प्रकार से हैं:-

"18 क. <u>कार्य स्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों में विशेष प्रकिया</u>- नियम 16,17 और 18 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम,1971 के नियम 25 कक के अंतर्गत यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत हो तो ऐसी शिकायत की जांच करने के लिए प्रत्येक विभाग/कार्यालय में स्थापित शिकायत समिति को जांच प्राधिकारी समझा जायेगा और उक्त समिति की रिपोर्ट को इन नियमों के प्रयोजन के लिए जांच रिपोर्ट समझा जायेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त जांच रिपोर्ट पर इन नियमों के अनुसार कार्य करेगा। यदि शिकायत समिति के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले मे जांच करने के लिए पृथक प्रक्रिया विहित नहीं हो तो शिकायत समिति यथासाध्य इन नियमों में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी।"

उक्त प्रावधानों प्रदत्त अनुसार शिकायत समितियों को जांच अधिकारी के समकक्ष प्राधिकार प्राप्त हुआ है और शिकायत समिति के प्रतिवेदन को नियमों के प्रयोजनार्थ जांच प्रतिवेदन माना गया है। अनुशासनिक प्राधिकारी इस जांच प्रतिवेदन पर नियमानुसार आगे कार्यवाही सम्पादित करेगें।

शिकायत समितियों को कामकाजी महिलाओं की यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निस्तारण एवं जॉच करने हेतु यह आवश्यक होगा कि :-

1- शिकायत समिति के समक्ष किसी प्रकार की यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त होती है तो शिकायत समिति उस शिकायत को यथावत रूप से अपचारी अधिकारी को संसूचित करेगी और इस संबंध में अपचारी से प्रतिउत्तर प्राप्त करेगी

शिकायत समिति शिकायत की जॉच में सुनवाई करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन करेगी और राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 में वर्णित नियमों में विहित प्रकिया के अनुसार गवाहों के बयान, प्रतिपरीक्षण, साक्ष्य, लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर भी पक्षकारों को प्रदान करेंगी। शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज एवं अभिलेखित गवाहों के बयानों की प्रमाणित प्रति देय शुल्क पर नियमानुसार दोनों पक्षों को देय होगी।

शिकायत समिति की जांच प्रकिया में कोई विवाद एवं सन्देह उत्पन्न होने की स्थिति में राजस्थान सिविल सेवाऐ (वर्गीकरण,नियंत्रण और अपील) नियम,1958 के प्रावधान के अनुसार निर्वचन एवं निराकरण किया जायेगा।

शिकायत समिति यथा शीघ्र जॉच पूरी करके अपना प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को समस्त अभिलेख सहित प्रस्तुत करेगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त दिशा–निर्देशों से अपने विभाग, विभागाध्यक्ष एवं अधिनस्थ विभाग/कार्यालयों में गठित शिकायत समिति को अवगत करवा करके अनुपालना सुनिश्चित की जाय।

उप शासन सचिव